भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3961
19 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत नए आवासों का निर्माण

†3961. एडवोकेट चन्द्र शेखरः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत दस लाख करोड़ रुपए के समग्र निवेश से एक करोड़ आवासों के निर्माण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किए गए बजटीय प्रावधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आवास संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार अगले पांच वर्षों में इन समुदायों के लिए आवास की स्थिति में सुधार करने पर इस वित्तीय सहायता के प्रभाव का मूल्यांकन किस प्रकार करती है और इस संबंध में जवाबदेही सुनिश्चित करने के तरीके क्या हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर के शहरी क्षेत्रों में पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना पीएवाई-यू के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है।

पीएमएवाई-यू के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 01.09.2024 से "सभी के लिए आवास" पीएमएवाई-यू 2.0 मिशन शुरू किया है, ताकि चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से देश भर के शहरी क्षेत्रों में किफायती लागत पर आवास का निर्माण, खरीद और किराए पर लेने के लिए ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी श्रेणियों के एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जा सके। अब तक, 29 राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार

पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। योजना के दिशानिर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/operational-guidelines-of-pmay-u-2.pdf पर उपलब्ध हैं।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के तहत विधवाओं, अकेली रह रही महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर और कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। पीएमएवाई-यू 2.0 के संचालन के दौरान सफाई कर्मियों, पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहचाने गए पथ विक्रेताओं और पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत विभिन्न कारीगरों, आंगनवाड़ी श्रमिकों, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, स्लम निवासियों /चॉल के निवासियों और पहचाने गए अन्य समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

आवासों के निर्माण के लिए पीएमएवाई-यू के तहत आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त निधियां प्रदान की गई थीं और इसी तरह, पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों के जीवन पर समावेशिता, पारदर्शिता, जवाबदेही और परिवर्तनकारी प्रभाव के आकलन के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा परियोजनाओं की सामाजिक लेखा परीक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, शहरी गरीबों सहित लाभार्थियों पर प्रभाव का आकलन करने के लिए योजना के मध्यावधि मूल्यांकन का भी प्रावधान किया गया है।

*****